भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *355
25 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

मत्स्यपालन क्षेत्र का विकास

***355. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:**

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत के मत्स्यपालन क्षेत्र के विकास में सहायक कारकों तथा वैश्विक मत्स्य उत्पादन में इसके लगभग 8 प्रतिशत के बढ़ते योगदान का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी पहलों, नीतिगत हस्तक्षेपों तथा प्रौद्योगिकीय प्रगति का ब्यौरा क्या है जिनसे विशेषकर आंध्र प्रदेश में मत्स्यपालन उद्योग में यह विस्तार तथा उत्पादकता में सुधार सुगम हुआ है;

(ग) पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हुए इस क्षेत्र का दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करने में मत्स्यपालन की संधारणीय पद्धतियों तथा समुद्री संसाधन प्रबंधन का क्या महत्व है; और

(घ) भारत के मत्स्य निर्यात को बढ़ाने, वैश्विक बाजार में इसकी स्थिति को मजबूत करने तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन,पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'मत्स्यपालन क्षेत्र का विकास' के संबंध में 25 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 355 के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

(क) और (ख) भारत का मात्स्यिकी क्षेत्र तेजी से विकास कर रहा है, जिसने 184.02 लाख टन का रिकॉर्ड उत्पादन हासिल किया है और वैश्विक मत्स्य उत्पादन में लगभग 8% का योगदान दे रहा है । पिछले 10 वर्षों के दौरान, भारत सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों जैसे कि नीली क्रांति योजना, फिशरीस एंड एक्वाकल्चर इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फ़ंड (एफआईडीएफ), प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएमएमकेएसएसवाई) के माध्यम से 38,572 करोड़ रुपए के संचयी निवेश के साथ मात्स्यिकी और जलीय कृषि क्षेत्र में निवेश वृद्धि की है। 2015-16 से 2019-20 तक 5 वर्षों के लिए कार्यान्वित बहुआयामी गतिविधियों के साथ नीली क्रांति योजना के अंतर्गत मात्स्यिकी क्षेत्र में लगभग 5000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया । 2018-19 में 7,522.48 करोड़ रुपए के फंड के साथ लॉन्च किया गया एफआईडीएफ मात्स्यिकी से संबंधित परियोजनाओं के लिए रियायती वित्तपोषण प्रदान करता है । इस योजना के तहत फिशिंग हारबर्स, फिश लैंडिंग सेन्टर्स और प्रोसेसिंग यूनिट्स सहित कुल 5,915.54 करोड़ रुपए के 141 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है । 20,050 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ 2020-2025 तक चलने वाली पीएमएमएसवाई का उद्देश्य उत्पादन, प्रौद्योगिकी, पोस्ट हारवेस्ट इनफ्रास्ट्रक्चर, मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन) आधुनिकीकरण, फिशरीस मेनेजमेन्ट और मछुआरों के कल्याण में कमज़ोर कड़ियों (क्रिटिकल गैप्स) को पाटना है। आज तक, 8,926.29 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंशदान के साथ 20,990.79 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएमएमकेएसएसवाई) का उद्देश्य 6,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ मात्स्यिकी क्षेत्र को व्यवस्थित बनाना, जलीय कृषि बीमा को प्रोत्साहित करना, सूक्ष्म और लघु उद्यमों की मूल्य श्रृंखलाओं में सुधार करना और सुरक्षित मत्स्य उत्पादन सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, 2018-19 से सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधा मछुआरों और मत्स्य पालकों तक विस्तारित की है ताकि उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में उन्हें सहायता प्रदान की जा सके और 4.63 लाख केसीसी के माध्यम से 2,982.58 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत बायोफ्लोक, रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस), रेसवे और केज कल्चर यूनिट्स जैसी उन्नत जलकृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाकर जलकृषि के विस्तार पर बल दिया गया है। इन हस्तक्षेपों ने उत्पादकता में सुधार और उत्पादन लागत को कम करने में सहायता की है। समुद्री मात्स्यिकी (मरीन फिशरीस) क्षेत्र में, निर्यात क्षमता के लिए फिशिंग वेसल्स का अपग्रेडेशन, डीप सी फिशिंग वेसल्स की शुरूआत और स्मार्ट एवं इंटीग्रेटेड फिशिंग हारबर्स की स्थापना ने उत्पादन वृद्धि को बनाए रखने में योगदान दिया है।

2015-16 से नीली क्रांति योजना और पीएमएमएसवाई योजनाओं के तहत आंध्र प्रदेश में 2887.05 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। पीएमएमएसवाई के तहत, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने 39 गतिविधियों (32 लाभार्थी घटक और 7 गैर-लाभार्थी घटक) के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसकी कुल लागत 2398.72 करोड़ रुपए है, और इसमें केंद्रीय अंशदान 559.10 करोड़ रुपए है। एफआईडीएफ के तहत, आंध्र प्रदेश राज्य के लिए 1396.83 करोड़ रुपए की दस इनफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई । आंध्र प्रदेश सरकार ने बताया है कि योजनाबद्ध हस्तक्षेप के साथ-साथ जलीय कृषि के विकास के लिए राज्य द्वारा लागू किए गए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ने राज्य में मात्स्यिकी और जलीय कृषि के विकास में सहायता की है, जिससे मत्स्य उत्पादन 2013-14 में 20.18 लाख टन से बढ़कर 2023-24 में 51.58 लाख टन हो गया है।

(ग) भारतीय मात्स्यिकी क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास और पारिस्थितिक संतुलन (इकोलोजिकल बैलेन्स) सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने देश में जिम्मेदार और सतत (सस्टेनेबल) समुद्री मात्स्यिकी के मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी नीति 2017 को अधिसूचित किया है। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा वैज्ञानिक संस्थानों के परामर्श से तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को मत्स्य पकड़ने के प्रयासों को इष्टतम करने और स्थायी मत्स्यन (सस्टेनेबल फिशरीस) सुनिश्चित करने के उपायों को लागू करने के लिए कदम उठाने की सलाह दी जाती है। एक्सक्लूसिव इकोनोमिक ज़ोन (ईईजेड) में पेयर्ड बॉटम ट्रॉलिंग और एलईडी लाइट जैसे फिशिंग के विनाशकारी तरीकों पर प्रतिबंध है, और मछलियों के प्रजनन स्टॉक की रक्षा के लिए हर वर्ष मानसून के दौरान 61 दिवस का 'फिशिंग बैन' लागू किया जाता है। छोटी मछलियाँ जो प्रजनन अवस्था तक नहीं पहुंची हैं (जुवेनाईल), ऐसी मछलियों को पकड़ने को भी हतोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा, विभाग की प्रमुख योजना "प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)" के तहत, मछलियों के स्टॉक को बढ़ाने, मछलियों के आवास (हैबीटेट) को बहाल करने तथा मछुआरों और तटीय समुदायों के लिए अतिरिक्त आजीविका को बढ़ावा देने के लिए सी रेंचिंग, समुद्री कृषि, आरटिफिशियल रीफ़्स की स्थापना और समुद्री शैवाल की खेती (सी वीड कल्टीवेशन) आदि जैसी गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान की जाती है । मरीन फिशिंग रेगुलेशन एक्ट (एमएफ़आरए) द्वारा तटीय राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपने प्रादेशिक जल (टेरिटोरियल वाटर्स) का मैनेजेमेंट करते हैं, जिसमें मोटोराईज़्ड़ और नॉन मोटोराईज़्ड़ बोट्स का उपयोग करने वाले पारंपरिक मछुआरों के लिए क्षेत्र आरक्षित करना शामिल हैं। स्टॉक की स्थिति की समय-समय पर अनुसंधान संस्थानों आईसीएआर-सेंट्रल मरीन फिशरीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएमएफआरआई) और फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा समीक्षा की जाती है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न क्षेत्रों में 135 मत्स्य प्रजातियों के स्टॉक में से 91.1% की स्थिति ठीक और टिकाऊ पायी गई है ।

(घ) देश में मात्स्यिकी और जलीय कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कार्यान्वित की गई प्रमुख योजना, प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ 2024-25 तक मत्स्य निर्यात को बढ़ाकर 1.0 लाख करोड़ रुपए करने की परिकल्पना की गई है। भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और उच्च मूल्य प्राप्ति बढ़ाने के लिए, पीएमएमएसवाई मत्स्य मूल्य श्रृंखला की विभिन्न गतिविधियों को सहायता प्रदान करता है जिसमें गुणवत्ता के साथ मत्स्य उत्पादन, खारे पानी की जलीय कृषि का विस्तार (एक्सपैनशन), विविधीकरण (डाईवरसिफिकेशन) और गहनता (इंटेसीफिकेशन), निर्यातोन्मुखी प्रजातियों को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी का समावेश, मजबूत रोग प्रबंधन और ट्रेसेबिलिटी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, निर्बाध कोल्ड चेन के साथ आधुनिक पोस्ट हारवेस्ट इनफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, आधुनिक फिशिंग हारबर्स और फिश लैंडिंग सेन्टर्स का विकास आदि शामिल है । वित्त वर्ष 2013-14 के बाद से भारत का समुद्री खाद्य निर्यात दोगुना से भी अधिक हो गया है। वर्ष 2013-14 में जहां समुद्री खाद्य निर्यात 30,213 करोड़ रुपए था, वहीं वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान यह बढ़कर 60,523.89 करोड़ रुपए हो गया है।

भारत सरकार के अंतर्गत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने समुद्री खाद्य के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए एक समर्पित एजेंसी के रूप में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण / मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेन्ट एथोरटी (एमपीईडीए) की स्थापना की है। मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेन्ट एथोरटी द्वारा ब्रांड प्रचार, निर्यातक नामांकन (एक्स्पोर्टर एनरोलमेन्ट) और आयातक संपर्क के माध्यम से भारतीय मात्स्यिकी उत्पादों को बढ़ावा दिया जाता है । यह प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान, कार्यशालाओं और चिंतन शिविरों के माध्यम से उद्योग की क्षमता को बढ़ाता है। नए बाजारों (न्यू मारकेट्स) की खोज के लिए, एमपीईडीए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेता है, बायर सेलर मीट (BSM) और रिवर्स बायर सेलर मीट (RBSM) का आयोजन करता है, और विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ सहयोग करता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, एक्सपोर्ट इन्सपैक्शन काउंसिल (ईआईसी), वाणिज्य विभाग द्वारा मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन) में प्रासंगिक हितधारकों के लिए समय-समय पर जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। सरकार, समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख आयातकों (अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन, जापान) के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करती है। वैश्विक स्तर पर भारत के समुद्री खाद्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, सरकार विनियमों में संशोधन करके, आयात को सुव्यवस्थित करके और प्रमुख जलीय खाद्य सामग्री, जलीय कृषि इनपुट और मत्स्य प्रसंस्करण सामग्री पर आयात शुल्क को कम करके व्यापार को सुगम बना रही है।

***